फर्द आदेश
(नियम 20)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम जहाजपुर (भीलवाड़ा)

पदमसिंह पिता रामा मीणा नि. सोमागढ़ी का खेड़ा

बनाम

देवराम पिता रामा मीणा नि. सोमागढ़ी का खेड़ा वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 111, 129 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1296/21

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही तथा हस्ताक्षरों सहित	पक्षकार व उनके वकील का हुक्म की तामील में मौजूदगी
01.12.21	प्रार्थना पत्र पेश होने से बाद नोटिस रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पार्टी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम सांकरा प. ह. सांकरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 9990/1, 9991/2, 9991 कुल किता 4 रकबा 13.13 बीघा है। जब कृषि आराजी के चारों तरफ फसलें होकर उनको अपनी अपनी जराबी का सही सीमा ज्ञात नहीं होने के कारण आये दिन फसल की बुवाई कटाई के समय आपातकालीन विवाद होता रहता है। अतः पत्रावली के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में पार्टी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुनवाई अभिभाषक/पार्टी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2066 से 2022 तक के अवलोकन से पत्रावली किये जाने वाली भूमि पार्टी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की है। फसलिसान के विवाद करने संबंधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिससे जाहिर होता है कि पत्रावली की जाने वाली भूमि पार्टी के स्वामित्व की है। अतः प्रार्थना पत्र 111/129 सा.ले.ले. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम सांकरा प. ह. सांकरा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 9990/1, 9991/2, 9991 कुल किता 4 रकबा 13.13 बीघा की सरहदात फसलिसान के पत्थरबन्दी करने हेतु मू. अभियंता निर्माण खण्ड को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते है। जो पार्टी मौके पर जमा करेगा, उसमें से 100 रु. राजकोष में जमा कराने। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट दिनांक प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 01.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner